भारत सरकार
कारपोरेट कार्य मंत्रालय

लोक सभा

तारांकित प्रश्न संख्या - 63

(जिसका उत्तर शुक्रवार, 27 फरवरी, 2015/8 फाल्गुन, 1936 (शक) को दिया गया)

<u>विदेशी कंपनियां</u>

***63. श्री लल्लू सिंह :**

क्या **कारपोरेट कार्य मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत हुई विदेशी कंपनियों की क्षेत्र और राज्य/संघ राज्यक्षेत्र-वार संख्या कितनी है और इनसे कितने राजस्व का अर्जन हुआ;
(ख) विदेशी पूंजी और घरेलू रूप से सृजित पूंजी से स्थापित की गई ऐसी कंपनियों की कंपनी/क्षेत्र-वार अलग-अलग संख्या कितनी है;
(ग) क्या विदेशी कंपनियों के पंजीकरण के संबंध में सरकार द्वारा आवधिक रूप से मार्ग-निर्देश जारी किए जाते हैं और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(घ) क्या कुछ विदेशी कंपनियां स्वयं को पंजीकृत कराए बिना ऑनलाइन कार्य कर रही हैं; और
(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और भारतीय उपभोक्ताओं और निवेशकों के हितों की रक्षा करने के लिए सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्री (श्री अरुण जेटली)

(क) से (ड.) : एक विवरण सदन पटल पर रखा गया है।

*****

'विदेशी कंपनियां' से संबंधित 27 फरवरी, 2015 को लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) से (ड.) तक के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) : कंपनी अधिनियम, 1956 (31 मार्च, 2014 तक) की धारा 591(1) और कंपनी अधिनियम, 2013 (01 अप्रैल, 2014 से प्रवृत्त) की धारा 2(42) के अंतर्गत परिभाषित और पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत विदेशी कंपनियों की राज्य/संघशासित क्षेत्र-वार और सेक्टर-वार संख्या क्रमशः **अनुलग्नक-I** और **अनुलग्नक-II** में दी गई है। पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत विदेशी कंपनियों से अर्जित राजस्व **अनुलग्नक-III** में दिया गया है।

(ख) : विदेशी कंपनियों की स्थापना के लिए वित्त के स्रोत (विदेशी या घरेलू) से संबंधित सूचना केंद्रीयकृत रुप से नहीं रखी जाती।

(ग) : विदेशी कंपनियों द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 के अध्याय XXII (धारा 379-393) के प्रावधानों का अनुपालन करना अपेक्षित है। अध्याय XXII के प्रावधानों के अंतर्गत 31 मार्च, 2014 को अधिसूचित कंपनी (विदेशी कंपनियों का पंजीकरण) नियम, 2014 में अधिनियम के अंतर्गत भारत में विदेशी कंपनियों के पंजीकरण के तरीकें का प्रावधान है। ये नियम 01 अप्रैल, 2014 से लागू किए गए। कंपनी अधिनियम, 2013 के अंतर्गत ये प्रावधान लागू होने से पूर्व कंपनी अधिनियम, 1956 के सदृश प्रावधान और इसके अंतर्गत बनाए गए नियम लागू थे।

(घ) और (ड.) : कंपनी अधिनियम के अंतर्गत पंजीकरण कराए बिना ऑनलाइन कार्यकलाप चलाने वाली केवल एक कंपनी अर्थात् स्पीक एशिया का मामला मंत्रालय के ध्यान में लाया गया था। जिसे गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय को भेजा गया था। गंभीर धोखाधड़ी जांच कार्यालय की जांच रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 206 से 229 के अंतर्गत निरीक्षण, पूछताछ एवं जांच से संबंधित प्रावधान विदेशी कंपनियों के लिए भारत में व्यापार करने हेतु लागू हैं।

*****

<u>**अनुलग्नक - 1**</u>

(दिनांक 27.02.2015 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित)

तालिकाः पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत विदेशी कंपनियों का राज्य/संघशासित क्षेत्र वार वितरण					
क्र.सं.	**राज्य/संघशासित क्षेत्र**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15***
1	आंध्र प्रदेश	9	2	8	0
2	बिहार	0	1	0	0
3	दिल्ली	60	39	62	40
4	गोवा	2	1	0	0
5	गुजरात	9	1	4	5
6	हरियाणा	30	31	24	11
7	झारखंड	0	1	0	0
8	कर्नाटक	18	18	20	17
9	केरल	3	4	3	1
10	मध्य प्रदेश	0	1	1	3
11	महाराष्ट्र	69	47	63	39
12	उड़ीसा	0	0	1	0
13	पुदुचेरी	0	2	0	0
14	पंजाब	1	0	0	0
15	राजस्थान	1	0	0	1
16	तमिलनाडु	21	11	24	11
17	तेलंगाना	0	0	0	2
18	उत्तर प्रदेश	5	2	5	2
19	पश्चिम बंगाल	3	4	1	3
	कुल	**231**	**165**	**216**	**135**

*22.02.2015 तक के आंकड़े

स्रोतः एमसीए21 रिपॉजिटरी

<u>अनुलग्नक - 2</u>

(दिनांक 27.02.2015 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित)

तालिकाः पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत विदेशी कंपनियों का सेक्टर-वार वितरण					
क्र.सं.	**सेक्टर/आर्थिक कार्यकलाप**	**2011-12**	**2012-13**	**2013-14**	**2014-15***
1	खनन एवं उत्खनन	12	1	16	5
2	उत्पादन (खाद्य पदार्थ)	3	0	0	0
3	उत्पादन (वस्त्र)	0	0	3	0
4	उत्पादन (चमड़ा और उसके उत्पाद)	0	0	0	1
5	उत्पादन (धातु एवं रसायन तथा उनके उत्पाद)	6	2	6	2
6	उत्पादन (मशीनरी एवं उपकरण)	14	11	12	10
7	उत्पादन (अन्य)	2	0	4	0
8	विद्युत, गैस और जल कंपनियां	6	1	4	1
9	निर्माण	8	7	3	9
10	व्यवसाय	8	8	13	12
11	परिवहन, भंडारण एवं संचार	6	5	5	3
12	वित्त	7	3	1	3
13	बीमा	2	2	1	0
14	स्थावर संपदा और किराया	0	0	1	0
15	व्यापार सेवाएं	121	103	115	83
16	सामुदायिक, वैयक्तिक एवं सामाजिक सेवाएं	36	22	32	6
कुल		**231**	**165**	**216**	**135**

*22.02.2015 तक के आंकड़े

स्रोतः एमसीए21 रिपॉजिटरी

अनुलग्नक - 3

(दिनांक 27.02.2015 को उत्तर देने के लिए लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 63 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित)

तालिकाः पिछले तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान पंजीकृत विदेशी कंपनियों से प्राप्त राजस्व (मंत्रालय में विभिन्न फाइलिंग से प्राप्त भुगतान)		
क्र.सं.	**वर्ष**	**प्राप्त राजस्व (लाख रू. में)**
1	2011-12	339.75
2	2012-13	191.51
3	2013-14	243.44
4	2014-15*	187.10
	कुल	**961.80**

*22.02.2015 तक के आंकड़े

स्रोतः एमसीए21 रिपॉजिटरी